पत्रांक–15/जी1–01/2017 (खण्ड)
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक.....2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) से सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु रूपये 438,01,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ एक लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को आउटसोर्सिंग हेतु रूपये 10,00,000/– (दस लाख) अर्थात गैर–वेतनादि मद में कुल रूपये 438,11,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहतर) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय, पटना एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को छोड़कर) एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/घाटानुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों जो, विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं, के बकाया सेवान्त लाभ के मद में भुगतान हेतु रूपये 438,01,03,869/– (चार सौ अड़तीस करोड़ एक लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र तथा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को आउटसोर्सिंग के मद में भुगतान हेतु रूपये 10,00,000/– (दस लाख) मात्र अर्थात गैर– वेतनादि मद में कुल रूपये 438,11,03,869/– (चार सौ अड़तीस

करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र का व्यय विषय शीर्ष–31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतनादि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से करने की स्वीकृति निम्नवत दी जाती है:–

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि	आउटसोर्सिंग के मद में स्वीकृत की जानेवाली राशि	गैर–वेतनादि मद में कुल स्वीकृत की जाने वाली राशि (स्तम्भ 3+4)
1	2	3	4	5
1	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	722502313	0	722502313
2	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुज0	869487208	0	869487208
3	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	733697953	0	733697953
4	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	414067738	0	414067738
5	बी0एन0एम0 विश्वविद्यालय, मधेपुरा	638785464	0	638785464
6	एल0एन0एम0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	954400415	0	954400415
7	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	45096357	1000000	46096357
8	मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना	2066421	0	2066421
कुल		4380103869	1000000	4381103869

2. स्वीकृत राशि के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लधुशीर्ष 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, माँग संख्या 21 के अन्तर्गत निम्नांकित विपत्र कोड के अधीन होगा:–

क्र0	विश्वविद्यालयों के नाम	बजटशीर्ष/विपत्र कोड
1.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	21–2202.03.102.0002.31.06
2.	बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	21–2202.03.102.0003.31.06
3.	जे0पी0 विश्वविद्यालय, छपरा	21–2202.03.102.0004.31.06
4.	वीर कुवंर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	21–2202.03.102.0005.31.06
5.	बी0एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	21–2202.03.102.0008.31.06
6.	एल0 एन0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	21–2202.03.102.0011.31.06

7.	के0एस0डी0एस0 विश्वविद्यालय, दरभंगा	21–2202.03.102.0012.31.06
8	मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	21–2202.03.102.0016.31.06

3. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के गैर–वेतनादि मद में राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :–

(I) बकाया सेवान्त लाभ का भुगतान वैसे हीं शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पदाधिकरियों एवं कर्मचारियों को किया जायगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त होकर सेवा निवृत हो चुके हैं तथा जिन्हें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के प्रावधानों के आधार पर स्वीकृत पदो के विरूद्ध भुगतान अनुमान्य है।

(II) वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत की जाने वाली राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का भुगतान किया जाएगा, उनके पेंशनादि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा–(2) एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायगा, जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

(III) तत्काल चतुर्थ चरण के नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में केवल वैसे शिक्षक एवं शिक्षाकेतर कर्मियों के पेंशनादि का भुगतान किया जायगा जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन एवं न्यायादेश के आधार पर स्वीकृत पद या 30.04.86 तक अनुशंसित पद के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कर्मी का भुगतान किया जाना अनियमित एवं गैर कानूनी होगा।

(IV) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक काटि में माना जाना है जो,

दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थें।

(v) शिक्षकेतर कर्मचारियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिनांक 01.04.81 के पहले तथा 31.12.95 के बाद अनुमान्य नहीं है तथा इसमें राज्य कर्मियों के लिए निर्धारित सभी नियमों, बन्धेजों तथा अन्य सभी शर्त्तों का विश्वविद्यालय द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ढील या फेरबदल विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन शिक्षकेतर कर्मचारियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति का लाभ मिल चुका हो उन्हें नियमों के विपरीत कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जायगा।

(vi) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनगान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में पेंशनादि का भुगतान नहीं किया जायगा।

(vii) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस कम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(viii) पेंशन, पारिवारिक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1674, दिनांक 16.08.2012 में अंकित निदेशों के आधार पर किया जायगा।

(ix) बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की जाने वाली राशि से सेवानिवृति की तिथि के आधार पर अधिमान क्रम में तथा न्यायालीय वादों के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(x) स्वीकृत की जा रही राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।

(xi) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालय के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गई राशि एवं न्याय निर्णय के विरूद्ध भुगतान की गई राशि से संबंधित विश्वविद्यालय एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कार्रवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी किया जा सकता है।

4. बकाया सेवान्त लाभ के मद में स्वीकृत की गयी राशि की गणना माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा श्री गुणदवे झा के वाद में पारित आदेश के आलोक में विश्वविद्यालयों से प्राप्त मांग विवरणी/बजट के आधार पर की गयी है।

5. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आगे स्वीकृत की जानेवाली राशि विमुक्त की जायेगी। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण–पत्र दिये जाने की आवश्यकता होगी, कि विधिसम्मत रूप से कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य पेंशनादि/सेवान्त लाभ का भुगतान किया गया है।

6. विभागीय पत्रांक 15/एम–1–118/2001 उ0शि0–425, दिनांक 15.03.2002 तथा पत्रांक–809, दिनांक–18.06.2003 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सम्पूर्ण वार्षिक लेखे का अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया

गया है। इसके आलोक में वार्षिक लेखा का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सेवानिवृत्ति लाभ के मद में भुगतान के समय विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि त्रिलाभ योजना के अधीन विभागीय राज्यादेशों एवं परिनियम में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल किसी सेवानिवृत्त शिक्षक को सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

8. राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत राशि एवं इससे संबंधित विवरणी को आवश्यकतानुसार शिक्षक/ शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के सेवान्त लाभ में स्वीकृत एवं कर्णाकिंत की गई राशि में आवश्यक परिवर्तन एवं आवश्यकतानुसार न्यायादेश के अनुपालन हेतु विभाग द्वारा यथा आवश्यक निदेश भी दिया जा सकेगा।

9. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित (अंकेक्षण विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. वित्त विभाग के पत्रांक–7355(2) दिनांक–05.10.2007, पत्र संख्या–537- दिनांक 19.06.2015 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के पत्रांक–टी0एम0 11–877–90. दिनांक–08.11.2007 के आलोक में स्वीकृत की जानेवाली कुल 438,11,03,869/– (चार सं अड़तीस करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार आठ सौ उनहत्तर) मात्र की विमुक्ति निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जायेगी तथा उसकी निकासी विकास भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार से BTC-46/ BTC-5। पर सेवा शीर्ष से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जायेगा।

11. राशि की निकासी निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार की जाएगी तथा राशि संबंधित विश्वविद्यालयों के पी0एल0 खाते में हस्तांतरण/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी। इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आवंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी।

12. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.03.2018 की बैठक में दी गयी स्वीकृति एवं संचिका संख्या 15/जी1–01/2017 (खण्ड) में पृष्ट 06/टि0 पर दिनांक 28.03.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

13. स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव

ज्ञापांक 15/जी1–01/2017 (खण्ड) 166 पटना, दिनांक 28/3/18

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15/लेखापाल, उच्च शिक्षा तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

(अरशद फिरोज)
उप सचिव